दिनांक 16.03.2017 को अपराह्न 03.30 बजे सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के अध्यक्षता में आधार कार्ड/End to end Computerization/अपात्र लाभुकों के राशन कार्ड रद्द करने/खाद्यान्न आवंटन, उठाव एवं वितरण/लोड सेल एवं अन्न सुरक्षा कवच के संबंध में आयोजित विडियों कॉफ्रेसिंग की कार्यवाहीः–

सर्वप्रथम सचिव द्वारा विडियों कॉफ्रेसिंग में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए आज की अति महत्वपूर्ण विषयों पर आयोजित विडियों कॉफ्रेसिंग के संबंध में निम्नांकित बिन्दुओं के संबंध में जानकारी दी गई :–

- केन्द्रीय सरकार द्वारा पारित आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अनुदान प्राप्त करने वाले सभी योग्य लाभार्थियों का आधार कार्ड अनिवार्य है ।
- भारत सरकार के संयुक्त सचिव एवं मुख्य सचिव, बिहार के साथ आयोजित विडियों कॉफ्रेसिंग में स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 30.06.2017 तक अनिवार्य रूप से आधार सीडिंग का कार्य सम्पन्न कराया जाय ।
- माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा भी घोषणा की गई है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत सभी योग्य लाभार्थी का आधार सीडिंग कराया जाय ।
- जिन योग्य लाभार्थी का आधार कार्ड नहीं बना है उन्हें विशेष अभियान चलाकर आधार कार्ड बनवाया जाय ।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के सफल कार्यान्वयन में अनुमंडल पदाधिकारियों की विशेष भूमिका है। अतएव सभी अनुमंडल पदाधिकारी का जिम्मेवारी है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से आच्छादित सभी लाभुकों का आधार कार्ड बनाने में सहयोग करें ।
- ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पूरे राज्य में 1000 P.E.C. केन्द्र कार्यशील किये गये है अतएव व्यापक प्रचार–प्रसार कर छूटे हुए लाभुकों का आधार कार्ड बनवाया जाय ।
- आधार कार्ड एवं राशन कार्ड में नाम, पिता का नाम एवं अन्य डाटा के Miss match होने की स्थिति में आधार कार्ड में अंकित नाम एवं विवरणी को ही राशन कार्ड में संशोधित किया जाय ।
- सत्यापित डाटा का Bulk authentication, UIDAI के द्वारा कराया जायेगा । Miss match data को पुनः सत्यापन करने हेतु field में भेजा जाय ।
- किसी भी परिस्थिति में डाटा का Match नहीं होता है तो POS मशीन के माध्यम से सत्यापित कराया जायेगा ।
- अपात्र लाभुकों के नाम निर्गत राशन कार्ड को अभियान चलाकर रद्द किया जाय एवं पात्र लाभुकों के अनुरूप आवंटन की कटौती की जाय ।
- जिन पदाधिकारियों/कर्मियों की गलतियों से अपात्र लाभार्थी को राशन कार्ड निर्गत किया गया है उनके विरूद्ध जांच कर प्रपत्र 'क' गठित किया जाय ।
- R.C.-01 के साथ–साथ R.C.-02 में अंकित लाभार्थियों का भी आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या एवं मोबाईल नं0 का भी संग्रहण कर इन्ट्री कराया जाय ।
- R.T.P.S के माध्यम से प्राप्त आवेदनों की भली–भॉति जांच की जाय एवं यदि नया राशन कार्ड का आवेदन हो तो मूल परिवारिक सूची से सत्यापन कर नाम हटाना भी सुनिश्चित किया जाय ताकि Duplication नहीं हो ।
- शहरी क्षेत्र (74.55 प्रतिशत) एवं ग्रामीण क्षेत्रों (85.12 प्रतिशत) हेतु निर्धारित लक्ष्य के अन्तर्गत ही लाभुकों का आच्छादन किया जाय तदनुसार राशन कार्ड निर्गत किया जाय ।
- जिन जिलों में Surplus खाद्यान्न हो वे जिले खाद्यान्न का प्रत्यार्पण कर दें ताकि जिन जिलों में खाद्यान्न की आवश्यकता है, उन्हें दिया जा सके ।

D:\Year\2017\SECTION-06\Prociding Shashi.doc

2. <u>राशन कार्ड On line entry की समीक्षा :–</u>

सचिव द्वारा राशन कार्ड On line entry की जिलावार समीक्षा की गई । समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला दरभंगा 39 प्रतिशत, सीतामढ़ी 56 प्रतिशत, प0चम्पारण 64 प्रतिशत, जहानाबाद 64 प्रतिशत, बांका 64 प्रतिशत एवं सारण 67 प्रतिशत इन्ट्री किया गया है । सचिव द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं जिले के संबंधित भेंडर को निदेश दिया गया कि इन्ट्री का कार्य दो दिनों के अन्दर समपन्न कराया जाय । अन्य जिले के आपूर्ति पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि राशन कार्ड On line entry के बाद चेक लिस्ट का सत्यापन कराया जाय एवं सत्यपित डाटा का Final entry का कार्य साथ–साथ कराया जाय । Check list print में कोई समस्या हो तो N.I.C के पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर समस्या का निराकरण कराया जाय ।

3. <u>खाद्यान्न का आवंटन/उठाव एवं वितरण की समीक्षा</u>

सचिव द्वारा माह जनवरी, 2017 से मार्च, 2017 तक के खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण की समीक्षा के क्रम में पाया कि जिलों के द्वारा माह जनवरी में 98 प्रतिशत, फरवरी में 99 प्रतिशत एवं मार्च, 17 में 15 प्रतिशत खाद्यान्न का उठाव किया गया है । जबकि S.I.O का डिस्पैच जनवरीख 17 में 90 प्रतिशत फरवरी, 17 में 65 प्रतिशत एवं मार्च, 17 में मात्र 12 प्रतिशत ही किया गया है । सचिव द्वारा इसे गम्भीरता से लिया गया एवं निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह खाद्यान्न का उठाव शत–प्रतिशत करने के साथ ही साथ S.I.O का डिस्पैच भी शत–प्रतिशत सुनिश्चित किया गया जाय ।

जिलावार समीक्षा करते हुए पाया गया कि माह जनवरी, 2017 में अररिया एवं दरभंगा जिला में S.I.O का डिस्पैच 0 प्रतिशत है, यह अत्यंत ही चिन्ताजनक है ।

फरवरी 2017 में गया, दरभंगा जिला में 0 प्रतिशत S.I.O का डिस्पैच है जबकि वैशाली जिला में मात्र 6 प्रंतिशत ही S.I.O का डिस्पैच किया गया है । मार्च, 2017 में वैशाली/सुपौल/सीतामढ़ी/रोहतास/पूर्णियां/प0चम्पारण/मुजफ्फरपुर/मधेपुरा/खगड़िया/कटिहार/गापालगंज/गया/दरभंगा/बक्सर/बेगूसराय एवं अररिया जिला में 0 प्रतिशत ही S.I.O का डिस्पैच किया गया है, यह अत्यंत ही गम्भीर मामला है ।

सचिव द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम/अनुमंडल पदाधिकारियों को निदेश दिया कि राज्य गरीब उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराना जिले के पदाधिकारियों की जिम्मेवारी है । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में प्रावधान है कि खाद्यान्न प्राप्त नहीं होने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा भत्ता देय होगा । ऐसी विषम परिस्थिति के लिए पूर्ण रूप से आपकी जबावदेही होगी ।

सभी जिला प्रबंधकों को निदेश दिया गया कि मार्च, 2017 समाप्ति के पश्चात् गोदामों का भौतिक सत्यापन कर राज्य खाद्य निगम को प्रतिवेदित करेंगे ।

खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु पाक्षिक स्तर पर Stock position का भौतिक सत्यापन करें ।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों से खाद्यान्न की राशि समय–सीमा के अन्दर जमा करावें । यदि कोई जन वितरण प्रणाली विक्रेता खाद्यान्न की राशि जमा करने में कोताही करता है तो विधि सम्मत् कार्रवाई करें ।

4. <u>अन्न पर्यवेक्षण कवच</u>

सचिव द्वारा सभी पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि खाद्यान्न की कालाबाजारी/विचलन को रोकने हेतु त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है । इसके अन्तर्गत खाद्यान्नों के परिवहन के समय जिले के सभी संबंधित पदाधिकारियों, निगरानी समिति/जागरूक उपभोक्ताओं को S.M.S, Revert S.M.S से सूचना दी जाती है। इसी प्रकार खाद्यान्न के परिवहन में लगाये गये वाहनों में G.P.S & load cell का क्रियान्वयन शत–प्रतिशत सुनिश्चित किया जा रहा है । दैनिक भंडार प्रतिवेदन की भी समीक्षा एवं समय–समय पर भंडार सत्यापन कराया जाय । अतएव जिले के पदाधिकारियों का दायित्व है कि उपर्युक्त कार्यों का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जाय ।

5. <u>जन वितरण दुकानों के नई अनुज्ञप्ति के संबंध में</u>

सचिव द्वारा बताया गया कि राज्य में लगभग 13 हजार जन वितरण प्रणाली दुकानों की रिक्तियॉ है । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में विभागीय पत्रांक 1222 दिनांक 08.03.2017 के द्वारा सभी को निदेशित किया गया है । नई जन वितरण प्रणाली दुकानों की नियुक्ति हेतु व्यापक प्रचार– प्रसार कर स्थानीय समाचार पत्रों में रिक्तियों का विज्ञापन प्रकाशित कराया जाय एवं पारदर्शी तरीके नयी अनुज्ञप्ति जारी की जाय ।

6. <u>निरीक्षण एवं छापामारी</u>

सचिव द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह प्रावधानों के आलोक में खाद्यान्न/किरासन तेल एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी रोकने हेतु संघन निरीक्षण एवं छापेमारी की जाय तथा POIMS पर अपलोड किया जाय एवं Whatsapp के माध्यम से सूचित किया जाय ।

7. <u>माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित मामले</u>

विशेष सचिव द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में लंबित दायर वादों की समीक्षा करते हुए निदेश दिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय में लंबित दायरों में शपथ–पत्र दायर कर विभाग को प्रतिवेदित करें । सबसे अधिक मामले मुजफ्फरपुर, बांका, बेगूसराय, मधेपुरा, रोहतास, मोतिहारी, नालंदा, समस्तीपुर सीतामढ़ी, वैशाली, भागलपुर एवं मधुबनी जिलों में है, उक्त जिलों के पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रतिशपथ–पत्र दायर करें ।

8. <u>उपभोक्ता संरक्षण</u>

सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि जिला उपभोक्ता फोरमों के कार्यालय के उपयोग हेतु फोटो स्टेट मशीन एवं फर्निचर जिलों को उपलब्ध कराया गया है जिसका G.M, DIC/NIC से प्रमाण–पत्र अविलंब प्राप्त कर प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें ।

अन्त में विडियों कॉफ्रेसिंग सधन्यवाद समाप्त की गई ।

(भरत कुमार दुबे)
सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक–प्र06–विविध–26/2016 1454 /खाद्य,पटना–15,दिनांक 21-03-17
प्रतिलिपिः सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उपनिदेशक खाद्य/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी पटना/अपर जिला दण्डाधिकारी पटना (आपूर्ति) सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/प्रभारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक–प्र06–विविध–26/2016 1454 /खाद्य,पटना–15,दिनांक 21-03-17
प्रतिलिपिः अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/प्रधान सचिव कोषांग/आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक–प्र06–विविध–26/2016 1454 /खाद्य,पटना–15,दिनांक 21-03-17
प्रतिलिपि : प्रबंध निदेशक, राज्य खाद्य निगम, दारोगा प्रसाद राय पथ, पटना एवं महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक–प्र06–विविध–26/2016 1454 /खाद्य,पटना–15,दिनांक 21-03-17
प्रतिलिपिः माननीय मंत्री के आप्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव ।